संख्या-75/2021/ 2225 ई-2/तेरह-2021-1498047

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 11 नवम्बर ,2021

विषय- मेसर्स लार्डस डिस्टिलरी लि., नन्दगंज, जनपद गाजीपुर में 120 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता की ग्रेन से अब्सोल्सूट अल्कोहल एवं ई.एन.ए. उत्पादन किये जाने हेतु प्लान्ट आसवनी परिसर में स्थापित किये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं.-जी-53/दो-प्रा.डी.-190/ लार्डस, दिनांक 23 सितम्बर,2021 तथा इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग,उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 26.10.2021 में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित निर्गत कार्यवृत्त पत्र संख्या-2166 ई-2/तेरह-2021-1498047 दिनांक 29.10.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं समिति द्वरा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्व हित में मेसर्स लार्डस डिस्टिलरी लि., नन्दगंज, जनपद गाजीपुर को शासनादेश संख्या 111/2018/3979 ई-2/तेरह2018-382/99 दिनांक 20.12.2018 द्वारा शीरे पर आधारित 49.5 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के प्लान्ट को डिस्मेन्टल करके 50 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के ग्रेन आधारित प्लान्ट से ई.एन.ए. एवं 70 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के शीरा आधारित प्लान्ट की स्थापना की दी गयी **अनुमति को संशोधित करते** हुये 120 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 420 लाख लीटर वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता की ग्रेन आधारित प्लान्ट जिसके अन्तर्गत 90 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात 315 लाख लीटर वार्षिक ग्रेन आधारित एथनाल का उत्पादन औद्योगिक प्रयोजन के रूप में तथा 30 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात 105 लाख लीटर वार्षिक ग्रेन ई.एन.ए. का उत्पादन पेय मदिरा हेतु किया जायेगा, स्थापित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(1) आसवक द्वारा नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा प्लान्ट चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(2) प्रश्नगत इकाई द्वारा अनाज से एथनॉल, ई.एन.ए. उत्पादन के परिपेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थ की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य तक स्थापित करने उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों का संज्ञान उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-33/ 2021-810ई-2/तेरह-2021-107/2013 दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर-3(4) (छ) में उल्लिखित व्यवथानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थो की आपूर्ति के परिपेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(3) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पद्दन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in